भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1985
दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

क्रेच और डे केयर सेन्टर का लोप

1985. प्रो॰ रीता बहुगुणा जोशीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर उच्च महिला श्रम बल भागीदारी वाले क्षेत्रों में क्रेच और डे केयर सेन्टरों की संख्या में वृद्धि के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा विशेषकर स्वच्छता, प्रथमोपचार, स्तनपान और पोषण के मामलों में क्रेच और डे केयर सेन्टरों के पंजीकरण, स्थापना और अनुरक्षण हेतु कानून, नियम और विनियम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के अंतर्गत, 50 या उससे अधिक के कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए एक निश्चित दूरी के भीतर या तो पृथक रूप से या फिर सामान्य सुविधाओं के साथ क्रेच की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य बना दिया गया है। केंद्र सरकार खान और सर्कस उद्योग में इस अधिनियम के प्रावधानों की व्यवस्था कर रही है जबकि राज्य सरकारें फैक्ट्रियां, प्लांटेशन तथा अन्य स्थापनाओं में इसकी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों का सख्ती से प्रवर्तन करने और अनुपालन करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाहकार पत्र जारी किए जाते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कामकाजी माताओं के बच्चों (6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के आयुसमूह के) को डे केयर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 01.01.2017 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय क्रेच स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय क्रेच स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक सर्वेक्षण तथा मौजूदा क्रेचों के उचित मानचित्रण के आधार पर जिला स्तर पर क्रेच सेवाओं की आवश्यकता का विश्लेषण करता है ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में क्रेचों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जा सके।

राज्य सरकार द्वारा क्रेचों में उपस्थित होने में बच्चों की आवश्यकता और इच्छा का पता लगाने के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च के माह में आधारभूत सर्वेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन एजेंसियां क्रेचों के स्थान और पात्र बच्चों की पहचान करते हुए समुदाय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण करती है।

राष्ट्रीय क्रेच स्कीम के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत क्रेचों के पंजीकरण, स्थापना और अनुरक्षण विशेषकर स्वच्छता, प्रथमोपचार स्तनपान और पोषण के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

*****